निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 15 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ जिला-रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ जिला-रुद्रप्रयाग के माह 06/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षक, द्वारा दिनांक 24/5/2018 से 04/06/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह है कि निर्माण कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला रुद्रप्रयाग एवं चमोली, क्षेत्र, उत्तराखंड।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (समर्पित)
2015-16	--	-	2705.36	2703.51	201.62	195.93	-	-
2016-17	--	-	759.16	619.17	215.25	203.52	-	-
2017-18	-	139.97	244.65	206.48	6292.25	1988.83	-	4378.87 (डीएम पी एल ए)

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष `**	**प्राप्त `**	**व्यय अधिक्य (+) `**	**बचत (-) `**
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	SAA-R	--	60.50	60.50	59

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग में

प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष)

मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र,

अधीक्षण अभियंता,

अधिशासी अभियंता,

सहायक अभियंता,

कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग में

वित्त नियंत्रक , खंडीय लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी , प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्क सहायक।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ जिला-रुद्रप्रयाग** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ जिला-**

रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक..... एवं ..... को लेखा परीक्षा की गई
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखाबंदी क्रमश: माह ..... तथा 09/2017 तक की गई।

5. **फॉर्म-51**: माह 04/2018 तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है(धनराशि रु में)

   भाग प्रथम ₹ (-)300000

   भाग द्वितीय शून्य

6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष माह ..... के अंत में (धनराशि रु में)

   1.नकद परिशोधन- शून्य
   2.सामग्री क्रय- शून्य
   3.निक्षेप पंजिका- 65,51,424
   4.प्रकीर्ण अग्रिम- शून्य
   5.भंडार- शून्य

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1: ₹1.10 करोड़ सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. कर का अधिनियमों एवं नियमों के विपरीत अनियमित भुगतान संविदाकार को किया जाना।

भारत सरकार द्वारा एस.पी.ए. / ए.सी.ए. के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओ के सापेक्ष एवं आवंटित धनराशि को शासन के संख्या 151/XVII-(2)/17-4(33)/2016 दिनांक 13 जुलाई 2017 को प्राकृतिक आपदा एस.पी.ए. / ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत सिचाई विभाग हेतु अनुमोदित कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 12 कार्यों के लिए ₹ 5822.68 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आहरण कर व्यय करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। तथा त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं राज्य योजना आयोग को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31 मार्च 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि स्वीकृत 12 कार्यों में से माह मार्च 2018 तक केवल 8 कार्यों के अनुबंध गठित किये गये थे। अवशेष 4 कार्यों में से 3 के अनुबंध ही माह 5/2018 में गठित किये गये थे, एक कार्य Rejuvination of Tapt Kund at Gaurikund का अनुबंध सम्प्रेक्षा तिथि तक गठित ही नहीं किया गया था। उल्लिखित कार्यों जिनके अनुबंध माह 3/2018 तक गठित किये जा चुके थे, उनमें से केवल 6 कार्यों की ही माह 3/2018 में अधिकत्तम भौतिक प्रगति दर्शायी गयी है, (क्योंकि खण्ड कार्यालय के द्वारा संबंधित फर्म स्वामियों को ₹ 2,39,00,000.00 अग्रिम धनराशि का भुगतान फर्म स्वामियों से प्राप्त बैंक गारन्टी के सापेक्ष, प्राप्त बैंक गारन्टी का संबंधित बैंक एवं उसके उच्च कार्यालय से सत्यापन सुनिश्चित कराये बिना ही भुगतान कर दिया गया था) खण्ड के द्वारा भौतिक प्रगति मिथ्या दर्शायी गयी है। क्योंकि स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष आवंटित एवं व्यय धनराशि प्रतिशत अनुसार सभी 6 कार्यों की औसतन भौतिक प्रगति 24 प्रतिशत ही थी। विभाग के द्वारा इस संबंध में शासन एवं अपने उच्च अधिकारियों को भी मिथ्या जानकारी 92 प्रतिशत भौतिक प्रगति बताकर वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय न होने वाली धनराशि का शासन को समर्पण न करके यह कहकर कि सभी स्वीकृत 12 कार्य प्रगति पर है जो माह 06/2018 तक पूर्ण हो जायेगें। इसलिए आवंटित धनराशि का आहरण कर समर्पण से

बचने के लिए उच्च अधिकारी के माध्यम से शासन के वित्तीय विभाग को पत्र प्रेषित कर दिया, जिसमें वित्त सचिव के द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण कर उसकों जिलाधिकारी कार्यालय के पी.एल.ए. खाते में रखने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी, उक्त धनराशि को व्यय करने हेतु शासन से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जा सकता है, सम्प्रेक्षा तिथि तक शासन द्वारा व्यय करने की अनुमित प्रदान नहीं की गयी थी। स्वीकृत 12 कार्यों में से 1 कार्य को विस्तृत लेखापरीक्षा में चयनित होने पर पाया गया कि (Rs. 643.92 lakh Protection work on the Right Bank of Mandakini River at Gaurikund 150.00m to 300.00m), की प्राक्कलन पर मुख्य अभियन्ता गढ़वाल श्रीनगर के द्वारा दिनांक 30/05/2018 तक विस्तृत आगणन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी। विस्तृत आगणन में जो आईटम Dust Bin Rs- 5000.00, C.I Decorative seater Bench (110kg), Rs. 29,500.00 & C.I Lamp post single arm bracket (4.0M) ₹ 46,500.00 की दरें बाजार से प्राप्त होनी बतायी गयी थी, बाजार से प्राप्त दरों के कोटेशन / प्रोफार्मा इनवाइस एवं तुलनात्मक विवरण समर्थित अभिलेखों भी नहीं लगे थे, तथा जो एक मात्र कोटेशन डस्टविन का Devendra Ravindra Iron Store (Augustyamuni) Rudraprayag का लगाया गया था जिसमें डस्टविन एवं चेन एम.एस. घाट हेतु दरें दर्शायी गयी थी। खण्ड कार्यालय के द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित विस्तृत आगणन में गठित आगणन की अवधि में प्रचलित बाजार भाव दरों एवं देय करों का दर विश्लेषण सुनिश्चित किये बिना ही अनुमानित निर्माण सामाग्री की मात्रा एवं दरों पर ही प्राविधिक स्वीकृति ₹ 522.37 लाख एवं देय कर ₹ 94.03 लाख 18 प्रतिशत जी.एस.टी. तथा ₹ 6.58 लाख पर 28 प्रतिशत ₹ 184.00 जी.एस.टी. कुल धनराशि ₹ 643.92 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए आगणन उच्चाधिकारियों को प्रेषित किये गये थे जिस पर उच्चाधिकारियों के द्वारा प्रेषित अधिक मात्रा दरों एवं देय दरों कर की विश्लेषण जांच संलग्न अभिलेखों के बिना ही प्राविधिक स्वीकृति तिथि अंकित किये बिना ही आगणनों पर प्रदान कर दी गयी थी, जो आगणन एवं प्राविधिक स्वीकृति नियमों तथा बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियमों के विपरीत था। जिस कारण से विभाग के द्वारा डीलर (संविदाकारों) को उनकी दरों में अलग से कर की मांग किये बिना ही सम्प्रेक्षा तिथि तक ₹ 1,10,48,730.00 का भुगतान केवल सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. का कर दिया गया था, जोकि भारत सरकार द्वारा बनाये गये जी.एस.टी अधिनियमों एवं नियमों के विपरीत था।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि आगणन जी.एस.टी. लागू होने के तुरन्त पश्चात गठित किये गये थे, ततसमय जी.एस.टी. संबंधी नियमों / दिशानिर्देशों के अभाव में एक अनुमानित जी.एस.टी. के दर को सामिल किया गया था, जबकि निविदा का आमंत्रण बिना जी.एस.टी. की दरों के ही किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि गठित आगणन को पुनरीक्षित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें आज के समय में प्रचलित जी.एस.टी. की दरों को सम्मिलित किया जा रहा है। शासनादेश संख्याः 2137/11(2)/17-27(सामान्य) / 2017 दिनांक 5 सितम्बर 2017 में वर्णित है कि भविष्य में निविदायें जी.एस.टी. की राशि को छोड़कर ही प्राप्त की जाये तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 20/2017 दिनांक 22/08/2018 के अनुसार समय-समय पर प्राविधानित दरों का अलग से भुगतान किया जायें, अनुबंध की शर्तों के अनुसार शुद्धि पत्रांकः 4380/सि.का.म. रू./निविदा/दिनांक 14/10/2017 में अंकित है।

विभागीय उत्तर में स्वयं ही आडिट आपत्ति को स्वीकार किया गया है, कि खण्ड द्वारा बनाये गये आगणनों में ली गयी दरे एवं कर की दरें अधिक थी, इसमें पुनः आगणन की दरों को पुनरीक्षित हेतु उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा। जहां तक प्रश्न करों को भुगतान किये जाने का है, तो इस संबंध में यह स्पष्ट था, कि जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 2 की उपधारा 1 से 121 तक में सभी को डीलर माना गया है अर्थात कार्य संबिदा को जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 119 के अनुसार डीलर की श्रेणी में माना गया है, इसमें प्रत्येक डीलर को अधिनियम की धारा 31 के अनुसार (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि पर सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. कर की मांग करनी थी तभी उनकों अलग से देय जी.एस.टी. धनराशि का भुगतान उसके द्वारा जारी व्ययकों पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नहीं किया जा सकता था, जबकि विभाग के द्वारा डीलर संविदाकार को बिना जी.एस.टी. टैक्स इनवायस जारी किये एवं कर की अलग से मांग किये बिना ही संविदा की भुगतान की गयी ₹ 9,17,72,754.00 धनराशि पर ₹ 1,10,12,730.00 कर का अधिक भुगतान भी अलग से किया गया था जो कि वस्तु एवं सेवाकर अधिनियमों एवं नियमों के विपरीत था क्योंकि अधिनियम कर धारा 22 के अनुसार पंजीकृत डीलर को बिक्री बिल जारी करना अनिवार्य था। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 2:- मन्दाकिनी नदी के तटों पर चन्द्रापुरी में बाढ़ सुरक्षा योजना पर धनराशि ₹ 35.00 लाख का अनाधिकृत व्यय एवं धनराशि ₹ 59.06 लाख लंबित दायित्व।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 350/11-2016-04(17)/2016 दिनांक 20 फरवरी 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में नाबार्ड के अंतर्गत RIDF XXII में बाढ़ सुरक्षा योजनान्तर्गत "जनपद रूद्रप्रयाग में मन्दाकिनी नदी के तटों पर चन्द्रापुरी में बाढ़ सुरक्षा योजना" की स्वीकृति प्रदान की गयी थी योजना की स्वीकृत लागत ₹ 141.00 लाख थी जिसमें नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि ₹ 133.95 लाख थी। शासनादेश के बिन्दु XIV के अनुसार योजना कार्य के आगणन में स्वीकृत डिजाइन / मानक एवं दरों तथा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जाना था।

सिंचाई खण्ड केदारनाथ के अभिलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया कि बाढ़ सुरक्षा योजनान्तर्गत चन्द्रापुरी में मन्दाकिनी नदी के बायें तट पर घाट निर्माण का कार्य कराया जा रहा था परियोजना के आगणनानुसार अधोलिखित कार्य घाट निर्माण में संपादित कराये जाने थे।

क्रमांक	**विवरण**	**संख्या**	**लागत (₹)**
	60 मी. लम्बा घाट	01	1,24,91,416.00
	पहुंच मार्ग	01	1,75,965.00
	चेन्जिंग रूम	02	4,13,563.00
	बैठने की व्यवस्था	01	5,09,656.00
	रोशनी का प्रावधान	01	74,000.00
योग			**1,36,88,600.00**

₹ 4,11,000.00 का प्रावधान कन्टीनजेन्सी (2 प्रतिशत) व क्वालिटी कन्ट्रोल (1 प्रतिशत) हेतु था। मार्च 2017 में अधिक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, रूद्रप्रयाग द्वारा श्री शिव प्रताप पुण्डीर के साथ धनराशि ₹ 121.63 लाख में कार्य हेतु अनुबंध (सं. 15/SE/2016-17) गठित किया गया था जिसमें Changing Room का प्रावधान शामिल नहीं था। जो कि शासनादेश के बिन्दु XIV के प्रावधान के विपरीत था क्योंकि शासनादेश के बिन्दु XIV में स्पष्ट किया गया था कि स्वीकृत धनराशि आगणन के मानकों के अन्तर्गत होने पर ही व्यय की जायें। अभिलेखों की आगे जांच में यह भी प्रकाश में आया कि अनुबंध के अनुसार कार्य को दिसम्बर 2017 तक पूर्ण कराया जाना था जिसे अधिक्षण अभियन्ता के पत्रांक 6070 दिनांक 28 दिसम्बर 2017

द्वारा अप्रैल 2018 तक बढाया गया था। शासन द्वारा कार्य हेतु फरवरी 2017 में ₹ 0.10 लाख जून 2017 में 25.00 लाख व्यय सितम्बर 2017 ₹10.00 लाख का आवंटन किया गया था। जिसके सापेक्ष मार्च 2018 तक ₹ 94.06 लाख का कार्य मापपुस्तिका अनुसार किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में ₹ 35.00 लाख का भुगतान ठेकेदार को किया गया था। इस प्रकार ₹ 51.06 लाख दायित्व सिंचाई खण्ड पर धनाभाव के कारण लंबित थे।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत योजना के अनुसार तकनिकी स्वीकृत प्राप्त करते हुए कार्य कराये जा रहे थे। अतः स्वीकृत परियोजना किसी भी प्रकार का अनाधिकृत व्यय नहीं किया गया। लंबित दायित्व व धन की मांग के संबंध में खण्ड द्वारा बताया गया कि नाबार्ड द्वारा धनराशि विभाग को उपलब्ध कराने के पश्चात ही योजनाओं पर धनावंटन होता है।

खण्ड का उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि खण्ड द्वारा शासन की स्वीकृति के बिना ही चेन्जिंग रूम का प्रावधान अनुबंध से हटाया गया। जबकि तकनीकी स्वीकृति सभी मदों (Changing Room सहित) प्राप्त की गयी थी। लंबित दायित्वों के संबंध में भी खण्ड का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि खण्ड द्वारा धन की मांग शासन से की ही नहीं गयी थी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1: डिपॉजिट निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवशेष धनराशि ₹61.69 लाख खंड स्तर पर अवरुद्ध रखने का प्रकरण।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 634 के अनुसार डिपॉजिट निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए । लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित संलग्न विवरण के अनुसार पूर्ण निर्माण कार्यो की अवशेष धनराशि खंड स्तर पर अवरुद्ध पड़ी है।

क्रम संख्या	लेनदेन माह / वर्ष	कार्य का नाम	अवशेष धनराशि ₹ में
1.	9/2015	केदारनाथ मंदिर बाड़ सुरक्षा	162929
2.	12/2014	जिला योजना	3595921
3.	2/2015	नाबार्ड 30 किमी ऑफ सूट निर्माण	571
4.	3/2015	नाबार्ड 21 किमी ऑफ सूट निर्माण	15
5.	12/2015	सी. एस. एस. आर. से बाड़ सुरक्षा योजना	941
6.	-	दैवीय आपदा के कार्य क्यूड़ी नहर	173067
7.	11/2016	दैवीय आपदा के कार्य फ्लासी नहर	460000
8.	11/2016	दैवीय आपदा के कार्य बछनी भ्टवाड़ी नहर	429000
9.	11/2016	दैवीय आपदा के कार्य अगुस्तमुनि नहर	324777
10.	12/2016	दैवीय आपदा के गिंवाला मुख्य व फीडर मरम्मत कार्य	38000
11.	12/2016	दैवीय आपदा के जगोठ कुंड मुख्य नहर मरम्मत कार्य	76000
12.	12/2016	दैवीय आपदा के मरम्मत कार्य कमसाल व सिलकोट नहर	114000
13.	12/2016	दैवीय आपदा के मरम्मत कार्य डाँडो घाघल नहर	37542
14.	12/2016	दैवीय आपदा के कार्य गबनी मुख्य नहर	37500
15.	12/2016	दैवीय आपदा के कार्य चन्द्रापुरी भटवाडी नहर	37580
16.	12/2016	दैवीय आपदा के कार्य लाल पुल फीडर एवं जम्नधार मरम्मत कार्य	38000
17.	12/2016	दैवीय आपदा के कार्य क्यूंजा नहर	38000
18.	12/2016	दैवीय आपदा के कार्य सौड़ी व एंटा नहर	76000
19.	12/2016	कालीमठ में घाट निर्माण	79652
20.	12/2016	दैवीय आपदा के कार्य यूंग नहर	150000

21.	12/2016	दैवीय आपदा के कार्य क्यूंजा नहर	150000
22.	12/2016	दैवीय आपदा के कार्य गबनी नहर	150000
कुल धनराशि			**61,69,495**

उपरोक्त ₹61.69 लाख धनराशि कार्य पूर्ण होने के पश्चात खंड स्तर पर अवरुद्ध पड़ी है। जबकि कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्माण कार्य यथाशीघ्र ग्राहक विभाग को हस्तगत करके एवं कार्य से संबन्धित लेखे बंद करके अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए परंतु इस धनराशि को खंड स्तर पर अवरुद्ध रखा गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि सभी धनराशियों दिसंबर 2016 से पूर्व की है एक वर्ष से अधिक का समय बीत गया धनराशि का समायोजन नहीं किया गया है अत: ₹61.69 लाख धनराशि अवरुद्ध रखने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u> इकाई की विगत लेखापरीक्षा पत्रावली उपलब्ध नहीं थी।	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
<u>योग</u>	00	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की विगत लेखापरीक्षा पत्रावली उपलब्ध नहीं थी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्तमुनि) जिला-रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री हरिशचंद सिंह भारती	अधिशासी अभियंता	(15-08-14 से 04-09-17 तक)
(ii)	श्री धीरेंद्र पुंडीर	अधिशासी अभियंता	(04-09-17 से वर्तमान तक)

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

श्री रघुवीर सिंह राणा

श्री आलोक कुमार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्तमुनि) जिला-रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II